2019/00131

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री नानुराम आदीवाल
जति आदीवाल
निवासी लीला निवास बस स्टेण्ड के पीछे, आबूपर्वत
तहसील आबूरोड जिला सिरोही

लोक सूचना अधिकारी
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 6 वर्ष 2019

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.05.2019	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 3.4.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि हाईकोर्ट जोधपुर द्वारा ऑर्डर संख्या एसबी रीट नम्बर 10826/2018 के पालना की स्टेटस रिपोर्ट की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 3.4.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि हाईकोर्ट जोधपुर द्वारा ऑर्डर संख्या एसबी रीट नम्बर 10826/2018 के पालना की स्टेटस रिपोर्ट की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित को चाही गई समस्त सूचना उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। अतः अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है। क्योंकि लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) सिरोही का अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नही है। यदि अपीलांट चाहे तो सक्षम अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (सुरेन्द्र कुमार सोलंकी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned by CamScanner